

पत्रावली प्रेश. इंडी. वकील शर्मा हाजिर. / असाधी के  
 त्रिकुट शर्मा से ही एम्स पार्टी की जा चुकी है।  
 संक्षेप से कहना है तथ्य इस प्रकार है कि एम्स  
 पार्टी की असाधी संवत् 2067-70 खारा सं.  
 30-29 किरा 10 रुका 84-18-00 बीघा का वाड  
 असाधी द्वारा 53, 88, 188, 52 न RTI के तहत  
 तस्कुल कर उसी के साथ यह शर्मा पत्र असाधी  
 द्वारा 212 RTI के तहत कर असाधी सं. 1 से 3 के  
 मूल वाड के निराला तड जारी असाधी निवेदाला  
 प्रेषित किया जाने का विकल्प मिया है,

मैंने शर्मा वकील को सुना व पत्रावली  
 के अलख असाधी का असाधी किया, तस्कुल  
 के कानूनी बिनु निहित होने से शर्मा पत्र से असाधी  
 असाधी के तस्कुल सं. 1 से 3 के मूल वाड के  
 निराला तड जारी असाधी निवेदाला प्रेषित किया  
 जाता है कि शर्मा पत्र से असाधी असाधी के किसी  
 भी भाग से बिना विकल्प किमान न हो तस्कुल करे  
 व ही किसी प्रकार का शर्मा व अन्य सहकारियों  
 के संयुक्त रूप से कोई बाधा उत्पन्न करे।  
 व ही प्रबंधन नोकर चालर निरालेदार आदि से  
 करके यह शर्मा पत्र तड अधिकार का अंतिम निवेदाला  
 मही करवा है। तड अधिकार का तस्कुल मूल वाड  
 से लय होगा। असाधी प्रतिक्रिया अपना अपना वदन करे।  
 आदेश खुले न्यायालय से सुनाया गया।

h  
 50852222